भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या - 1733**
उत्तर देने की तारीख- 10/02/2026

**स्वच्छता कर्मचारियों के लिए पुनर्वास योजना**

1733. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र में रेलवे स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों को नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाने के संबंध में अपेक्षाकृत सीमित प्रगति हुई है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में एक व्यापक और प्रभावी योजना या नीति बनाना आवश्यक समझती है;

(ग) क्या सरकार महाराष्ट्र में सफाई कर्मचारी समुदाय के लिए स्थायी आवास, रोजगार और पुनर्वास के लिए किसी योजना पर कार्य कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में चल रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोई छात्रावास जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं और बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिससे छात्रों का जीवन खतरे में पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख) : 'राज्य में निहित या राज्य के अधिकार–क्षेत्र वाले निर्माण कार्य, भूमि और भवन' 'राज्य सूची' का विषय है, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41, 44 और 45 के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य निर्मित अवसंरचना, परिवहन प्रणाली और सुगम्य आईसीटी (ICT) सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने हेतु समुचित सरकार जिम्मेदार है तथा साथ ही, नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा/मूल्यांकन आयोजित करने की जिम्मेदारी भी उसी की है और ऐसे आँकड़ों का रखरखाव केंद्र स्तर पर नहीं किया जाता है।

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने सूचित किया है कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर, नासिक, पुणे और नागपुर जिलों में कुल 137 भवनों का पुनर्निर्माण पहले ही किया जा चुका है और उन्हें दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बना दिया गया है।

केंद्र सरकार के विभागों/मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एक व्यापक योजना- 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना' (SIPDA) लागू करता है, जिसमें "बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण हेतु योजना" (CBFE योजना) नामक एक उप-घटक शामिल है। इसके माध्यम से, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर मांग के आधार पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को बाधा मुक्त वातावरण निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

यूडीआईएसई+ 2024-25 के अनुसार, देश भर के 14.71 लाख स्कूलों में से:

i. 11.64 लाख स्कूलों में रैंप हैं;
ii. 8.08 लाख स्कूलों में रेलिंग के साथ रैंप हैं; और
iii. 5.23 लाख स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के अनुकूल शौचालय हैं।

महाराष्ट्र में:

i. 1,01,723 स्कूलों में रैंप हैं;
ii. 88,287 स्कूलों में रेलिंग के साथ रैंप हैं; और
iii. 67,668 स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CwSN) के अनुकूल शौचालय हैं।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने 10 जनवरी, 2024 को शैक्षणिक संस्थानों के लिए 'सुगम्यता संहिता' (Accessibility Code) अधिसूचित की है और इसे दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसमें सुगम्यता मानक, सुगम्यता में आने वाली बाधाओं की पहचान और मौजूदा भवनों की सुगम्यता लेखा परीक्षा करने तथा आगामी/नए निर्माण कार्यों की योजनाओं की जांच के लिए दिशा-निर्देश शामिल हैं।

(ग): जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) : महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि, प्रक्रिया के अनुसार, सभी छात्रावासों की छोटी और बड़ी कमियों की समय-समय पर निगरानी की जाती है। यदि कोई गंभीर अपूरणीय कमी देखी जाती है, तो तत्काल संरचनात्मक लेखा परीक्षा (स्ट्रक्चरल ऑडिट) आयोजित की जाती है। असंतोषजनक ऑडिट परिणामों के मामले में, छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों को तुरंत सुरक्षित और स्वस्थ परिस्थितियों वाले वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस बीच, राज्य लोक निर्माण विभाग (PWD) के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य कराया जाता है।

*****